

कार्यालय नगर पंचायत इसलामपुर

पत्र संख्या :- /न० पंचा०

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत इसलामपुर

सेवा में,

महालेखाकार,
लोकल ऑडिट विंग, बिहार, पटना।

दिनांक -

विषय:-ऑडिट रिपोर्ट नं०-165/2011-12 (वर्ष 2007-08 से 09-10 तक) के साक्ष्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सविनयपूर्वक कहना है कि नगर पंचायत इसलामपुर का वर्ष 2007-08 से 09-10 तक की गई अंकेक्षण के आलोक में पूर्व में भवदीय पत्रांक L.A./Compliance/529 dated 19-03-12 के द्वारा 24 पारा में से कुल 9 पारा सेटल्ड किया गया था। पुनः अन्य अनसेटल्ड कंडिकाओं के आलोक में साक्ष्य सहित पुनः अनुपालन प्रतिवेदन बोर्ड की बैठक दिनांक 27.9.2018 में समीक्षा उपरान्त समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न साक्ष्य के आलोक में लंबित कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा प्रदान की जाय।

सादर अनुरोध सहित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत इसलामपुर

ज्ञापांक 466 /न०पंचा०,इस०,दिनांक :- 29/9/2018

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी


नगर पंचायत इसलामपुर

कार्यालय नगर पंचायत इसलामपुर(नालन्दा) का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या
165/2011-12 (वर्ष 2007-08 से 09-10 तक का अनुपालन प्रतिवेदन)

क्रम सं०	कंडिका संख्या	कंडिका का शीर्षक /संक्षिप्त विवरण	अनुपालन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	1	Introduction	सूचनात्मक	महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेटल्ड है, साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त करने की कृपा की जाय।
2.	2	Administration	तथैव	तथैव
3.	3	Scope of Audit	सूचनात्मक, अतः कंडिका निरस्त करने की कृपा की जाय।	सभी प्रकार की पंजी एवं दस्तावेज एवं एकाउन्ट नियमतः संधारित की जाती है।
4.	4	Previous Audit Report	पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन 786/07-08 एवं 528/14-15 के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को विभाग के माध्यम से समर्पित की गई है।	पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन 786/07-08 एवं 528/14-15 का महालेखाकार कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 1865 दिनांक 23.08.2018 के माध्यम से अनेक कंडिकाओं को विलोपित की गई है तथा पुनः इस कार्यालय स्तर पर शेष अविलोपित कंडिकाओं हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संलग्न है, अतः कंडिका निरस्त की जाए।
5.	5	Internal Audit	अधिनियम में आंतरिक अंकेक्षण के तरीके का स्पष्ट प्रावधान न रहने के बावजूद इसलामपुर नगर पंचायत के कार्यकलाप, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी एवं स्थायी सशक्त समिति एवं बोर्ड के दिशा निर्देश एवं नियंत्रण में संपादित की जाती है। कंडिका सूचनात्मक है।	महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेटल्ड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाए।
6.	6	Important Audit Finding	सूचनात्मक,	यह पारा विविध पारा 9 से लेकर 20 तक के विभिन्न राशि से संबंधित है जिसका आगे की क्रमशः पाराओं के लिए साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त करने की कृपा की जाए।
7.	7	Overview	(i) स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। (ii) एवं (iii) रोकड़बही के अंतर्शेष का विश्लेषण तथा रोकड़बही एवं बैंक खाता के अंतर्शेष के अंतर का समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	अंकेक्षण के आलोक में रोकड़बही में 01.04.2010 को 18480216 शुद्धि कर अंकित किया गया है जिसकी जांच अंकेक्षण दल द्वारा की गई है। (कैशबुक की छायाप्रति साक्ष्य संलग्न है।) अतः कंडिका निरस्त की जाए
8.	8	Budget Estimates	शीर्षानुसार संभावित प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाते हुए, बजट प्राक्कलन बनाकर नियमानुसार बोर्ड की बैठक में अनुमोदित कराया जाता है।	महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेटल्ड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
9.	9	Govt. Grant	(i) अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोजन पंजी का संधारण किया गया है, अगले अंकेक्षण में अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः कंडिका निरस्त किया जाय। (ii) गंदी वस्ती विकास योजना की बची अवशेष राशि 3,95,017 से दो योजना कार्यान्वित की गई है जो निम्नलिखित है :- (क) नदी मुसहर टोली कॉलोनी के अंतर्गत मिट्टी भराई कार्य। (ख) वार्ड 15 अंतर्गत खगड़ी लोहारटोली-चमरटोली में पीओसीपीओ सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	(i) अनुदान पंजी एवं अन्य पंजी नियमानुकूल संधारण किया जाता है। ग्रान्ट पंजी की छायाप्रति संलग्न है। (ii) स्लम से संबंधित दो योजना दो-दो लाख रुपये की कराई गई है जिसकी योजना सं०-19 एवं 20/11-12 है। राशि व्यय की जा चुकी है। (योजना के मापी पुस्तिका की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है।) अतः कंडिका निरस्त करने की कृपा की जाय
10.	10	Maintenance of Cash Book	रोकड़ बही में अंकेक्षण के दौरान लेखानुसार तथा शीर्षानुसार आय एवं व्यय को वर्गीकरण कर दिया गया था। कंडिका सूचनात्मक है।	महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेटल्ड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त करने की कृपा की जाय।

11.	11	Under Statements of Receipt	रोकड़ वही में आवश्यक सुधार कर दिया गया है ।	आवटित राशि 657110/रुपया को अंकेक्षण के वक्त सुधार कर कैशबुक में अंकित कर दिया गया है। कैशबुक की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय ।
12.	12	Recurring Loss of Revenue due to non imposition of taxes and fees.	होलिडिंग टैक्स की वसुली वर्ष 2013-14 से की जा रही है जिसका अंकेक्षण 14-15 में किया गया है तथा कारोबार की अनुज्ञापति आवश्यकतानुसार निर्गत की जा रही है। व्यवसाय कर लागू की गई है ।	महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेटलड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय
13.	13	Loss of revenue due to Less realization of settlement amount of Municipal sairats	बंदोबस्ती धारी से बकाया राशि वसुलने की कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत बोर्ड के बैठक में भी इस विषय पर भी निर्णय लिया गया है।	सूचनात्मक अतः कंडिका निरस्त की जाय।
14.	14	Short deposit	बकाया राशि पारा- 14 का 15020/-रु0 अंकेक्षण के दौरान दिनांक 15.02.2011 को खाता सं0 -4 नालन्दा सेन्ट्रल को0 आ0 बैंक ,इसलामपुर में जमा कर दी गयी थी तथा इसे कैशबुक में दर्ज कर दी गयी है ।	15020/रुपये के बैंक डिपोजिट चालान एवं कैशबुक की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
15.	15 (i)	Non Deposit	पारा 15(i) की Non Deposit राशि 44450/रु0 दिनांक 18.02.2011 को खाता सं0 -4 नालन्दा सेन्ट्रल को0 आ0 बैंक ,इसलामपुर में जमा कर दी गयी है किन्तु 26450/-रु0पूर्व में ही 19.02.2009 एवं 14.03. 2010 को जमा की जा चुकी थी अतः 26450/-रु0 दोहरी रूप से जमा हो गयी है तथा इसे संबंधित रजिस्ट्रों में दर्ज कर दी गयी है ।	44450/रुपये के बैंक डिपोजिट चालान एवं कैशबुक की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
	15 (ii)	Non Deposit	Non Deposit राशि 42746/-रु0 में से दिनांक 19.12.2009 एवं 19.07.2010 को नगर पालिका खाता -11417711002 में 13500/- तथा 13000/-रु0 पूर्व से जमा है। शेष राशि 15796+450= 16246/-रु0 मो0 हसीब के द्वारा दोहरी रूप से जमा 18.02.2011 को 26450/-अधिक जमा होने के कारण 16246/-रु0 स्वतः सामंजस्य हो चुका है जिसे अगले अंकेक्षण में देखा जा सकता है।	13500 एवं 13000/रुपये के बैंक डिपोजिट चालान एवं कैशबुक की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
16.	16	Non Production of MR.Book.	मनी रसीद बुक अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी । मनी रसीद 801 से 804 तक एवं अन्य रसीद की वसुली राशि दिनांक 12.05.2008 को खाता सं0 -4 नालन्दा सेन्ट्रल को0 आ0 बैंक ,इसलामपुर में 1200/-रु0 चालान 5 के द्वारा जमा कर दी गयी है । मूल रसीद की कार्यालय प्रति अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रख दी गयी है। प्राप्त राशि नगर पंचायत कोष में जमा है।	1200/रुपये के बैंक डिपोजिट चालान एवं कैशबुक की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
17.	17	Delay in Deposit	अंकेक्षण की सलाह पर अमल किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त की जाय ।	महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेटलड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय।
18.	18 (i)	Non deduction of vat from the works bill of executing Agent.	यह पारा मो0 हसीब अभिकर्ता के नाम पर 38-हैंडपम्प योजना वर्ष 2008-09 में वैट की कटौती 5,16,454/रु0 नहीं करने से संबंधित है। इस संबंध में कहना है कि वर्ष 08-09 में मो0 हसीब के द्वारा नहीं, बल्कि निविदा आमंत्रण सूचना 64 दिनांक 02.06.08 के आलोक में आमंत्रित 38 चापाकल योजना कार्यान्वित की गई है जिसका प्राक्कलित राशि 13,97,640/रुपया है जिसपर वैट की कटौती 55873/रुपये कोषागार के माध्यम से संबंधित विभाग में जमा की गई है जिसका कैशबुक में 05.03.2010 को इन्द्राज की गई है तथा अंकेक्षण दल द्वारा इसको सत्यापित किया गया है।	निविदा प्रकाशन सूचना 10.06.2008 तथा कैशबुक 05.03.2010 की अंकेक्षित छायाप्रति व्यय विवरणी के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कंडिका निरस्त की जाय ।
	18 (ii)	Non deduction of Vat from supplies bills	सामग्री आपूर्ति के लिए जिम्मेवार फर्म प्रतिष्ठित कंपनी है एवं उनके बिल पर TIN NO. छपा हुआ है। भविष्य में सामग्री आपूर्ति पर फार्म C(iii) प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी ।	संबंधित फर्म वैट से निबंधित रहने के कारण आपूर्ति के विरुद्ध वैट स्वतः जमा होता है। इसलिए सरकार को ननडिडक्शन ऑफ वैट 53941/रुपये की हानि नहीं हो सकती। अतः कंडिका निरस्त की जाय।

18 (iii)	Loss of Revenue due to non-deduction of labour cost	इस कार्यालय को तात्कालीन अवधि में लेबर शेष की कटौती की जानकारी यथा श्रम कल्याण विभाग द्वारा कोई आदेश की प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण तात्कालीन अवधि में लेबर शेष की कटौती नहीं की गई है। वर्तमान में जानकारी होने के उपरान्त कई वर्षों से लेबर शेष की कटौती की जाती है तथा संबंधित विभाग को चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से अद्यतन 17-18 तक जमा की गई है	साक्ष्य के रूप में चेक प्रेषण का पत्र की छायाप्रति संलग्न है। अतः कड़िका निरस्त की जाय ।
19.	19	Excess Payment	भविष्य निधि अंशदान का अधिक भुगतान की राशि 1174=00 रु0 बैंक चालान द्वारा जमा कर सामंजित कर ली गयी है। अतः कड़िका निरस्त की जाय ।
20.	20	Kabir Anteshthi Scheme	कबीर अत्येष्टि योजना का भुगतान गरीब लाभार्थी के मृत्यु उपरान्त तुरत अग्निसंस्कार हेतु भुगतान करने का नियम है। अतः सभी मामलों में मो0 हसीब टैक्स दारोगा के द्वारा मात्र 22,000/रुपये का भुगतान किया गया है।
21.	21	Advance	अग्रिम पंजी अद्यतन कर दिया गया है एवं योजनाओं तथा अन्य कार्य से से संबंधित दी गई कुल अग्रिम 2583000/वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक की राशि का समायोजन योजनाओं की अंतिम मापी पुस्तिका में तथा अन्य अभिश्रव के द्वारा समायोजन की कार्यवाई की गई है।
22.	22	Result of Audit	कड़िका 22 में अंकेक्षण के आलोक में निम्न प्रकार राशि से संबंधित है। 1. Amount deposited at the instance of audit Rs-59470 2. Amount suggest for the recovery Rs. 1219629 3. Amount held under objection Rs.22500/ सूचनात्मक अतः कड़िका निरस्त की जाय ।
23.	23	Discussion with the executive	सूचनात्मक अतः कड़िका निरस्त की जाय ।
24.	24	General Remarks	सूचनात्मक अतः कड़िका निरस्त की जाय ।
			योजना सं0-03/5-6 आई0डी0एस0एम0टी0 मापी पुस्तिका के अंतिम पुस्त की छायाप्रति तथा अन्य पारित अभिश्रव की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः कड़िका निरस्त की जाय
			i-59470/रुपया एवं iii-22,500/रुपया जमा है। जो अंकेक्षित है। केशबुक की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। ii- 1219629/रुपये रिकवरी से संबंधित है जिसमें पारा 18(i) एवं 19 का साक्ष्य संलग्न है तथा अन्य पारा 13, 15(ii), 18(ii) एवं 18(iii) के लिए कार्यवाई की गई है अतः कड़िका निरस्त की जा सकती है।
			महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेंटल्ड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कड़िका निरस्त की जा सकती है।
			महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या 529, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा पारा सेंटल्ड है। साक्ष्य संलग्न है। अतः कड़िका निरस्त की जा सकती है।


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत, इसलामपुर (नालन्दा)
 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत, इसलामपुर
 21/11/16